## <u>1</u> <u>आपराधिक प्रकरण कमांक 568/2016</u>

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मिजस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश प्रकरण कमांक 568 / 2016 संस्थापित दिनांक 15 / 09 / 2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— गोहद, जिला भिण्ड म०प्र0

..... अभियोजन

## बनाम

 सोनू सिंह पुत्र सरनाम सिंह जाटव उम्र 26 वर्ष निवासी खेरिया रामऊ गोहद चौराहा जिला भिण्ड म.प्र.

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा— 279 एवं मोटरयान अधि. की धारा 146 / 196 भा.दं.सं) (राज्य द्वारा एडीपीओ— श्री प्रवीण सिकरवार) (आरोपी द्वारा अधिवक्ता— श्री कमलेश शर्मा )

> <u>::- नि र्ण य -::</u> <u>(आज दिनांक 27/02/17 को घोषित किया)</u>

आरोपी पर दिनांक 14/06/16 को 11 बजे सब्जी मण्डी गंज बाजार गोहद में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मोटरसाइकिल क. एमपी30 एमबी 8967 को बिना बीमा के उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए आह्त शिवकुमार के टक्कर मारकर उसे चोट पहुंचाकर उसे साधारण उपहित कारित करने हेतु भा.दं.सं. की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया है।

- 2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 14/06/16 को दिन के 11 बजे फरियादी मनोज एवं उसके चाचा का लड़का आहत शिवकुमार गंज बाजार सब्जी मंडी गोहद में सब्जी खरीद रहे थे। तभी भानू की घटिया की तरफ से मोटरसाइकिल क. एमपी30 एमबी 8967 का चालक मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ लाया था एवं उसने शिवकुमार के टक्कर मार दी थी जिससे शिवकुमार के सिर व शरीर में चोटें आयी थीं। फरियादी मनोज उसे ईलाज के लिए सरकारी अस्पताल गोहद ले गया था जहां से शिवकुमार को ग्वालियर रैफर कर दिया गया था। फरियादी मनोज द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना गोहद में की गयी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अपराध कमांक 152/16 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नकशा मौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपी को गिरफतार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
- 3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध अपराध विवरण निर्मित किया गया। आरोपी को अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया

है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

- 4. ये उल्लेखनीय है कि प्रकरण में विचारण के दौरान आह्त शिवकुमार द्वारा आरोपी से स्वेच्छया पूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी को पूर्व में ही भा.दं.सं. की धारा 337 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपी के विरुद्ध मात्र भा.दं.सं. की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के अंतर्गत विचारण शेष है।
- 5. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुकत परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किय है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूटा फंसाया गया है।
- 6. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं :-
  - 1. क्या आरोपी ने दिनांक 14/06/16 को 11 बजे सब्जी मण्डी गंज बाजार गोहद में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मोटरसाइकिल क. एमपी30 एमबी 8967 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?
  - 2. क्या आरोपी के पास घटना दिनांक समय व स्थान पर मोटरसाइकिल क. एमपी30 एमबी 8967 को चलाने का बीमा नहीं था?
- 7. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से आह्त शिवकुमार अ.सा.1, साक्षी सीताराम अ.सा.2, प्रधान आरक्षक प्रमोद पावन अ.सा.3, फरियादी मनोज अ.सा.4 को परीक्षित कराया गया है, जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया।

## निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2

- 8. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त दोनों ही विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 9. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी मनोज अ.सा. 4 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग सात—आठ महीने पहले की है वह व उसके चाचा का लड़का शिवकुमार गोहद आये थे करीबन 11 बजे वह गोहद में सब्जी खरीद रहा था तभी भानू की घटिया की तरफ से एक मोटरसाइकिल चालक ने मोटरसाइकिल को चलाकर टक्कर मार दी थी जिससे शिवकुमार के सिर व शरीर में चोटें आयी थीं उसने घटना की रिपोर्ट थाना गोहद में की थी जो प्रदर्श पी 6 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षी विरोधी घोषित कर सूचन प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना दिनांक 14/06/16 को जब वह सब्जी खरीद रहा था तभी भानू की घटिया की तरफ से मोटरसाइकिल क. एमपी30 एमबी 8967 के चालक ने मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए उसके चाचा के लड़के में टक्कर मार दी थी। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि वह एक्सीडेंट करने वाले आरोपी को नहीं पहचान सकता है।
- 10. आह्त शिवकुमार अ.सा. 1 ने भी अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके

न्यायालयीन कथन से लगभग छः माह पहले की है वह और उसके ताऊ का लड़का गोहद आये थे दिन के करीबन 11 बजे वह सब्जी खरीद रहे थे तभी भानू की घटिया की तरफ से एक मोटरसाइकिल के चालक ने उसे मोटरसाइकिल से टक्कर मार दी थी जिससे उसके सिर व शरीर में चोटें आयी थीं। उसके ताउ का लड़का उसे ईलाज के लिए अस्पताल ले गया था। उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि मोटरसाइकिल क. एमपी30 एमबी 8967 के चालक ने मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसके टक्कर मार दी थी। उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि मोटरसाइकिल क. एमपी30 एमबी 8967 के चालक ने मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर

घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि मोटरसाइकिल क. एमपी30 एमबी 8967 के चालक ने मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसके टक्कर मार दी थी। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि वह टक्कर मारने वाले व्यक्ति को नहीं पहचान सकता है।

- 11. साक्षी सीताराम अ.सा. 2 ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी सोनू जाटव को जानता है। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसके पास मोटरसाइकिल क. एमपी30 एमबी 8967 है। उक्त मोटरसाइकिल को वह चलाता है। दिनांक 14/06/16 को उसकी मोटरसाइकिल घर पर थी, उसकी मोटरसाइकिल से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उसने प्रदर्श पी 2 का प्रमाणीकरण पुलिस को नहीं दिया था प्रमाणीकरण प्रदर्श पी 2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उसने कोरे कागज पर हस्ताक्षर किये थे। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि दिनांक 14/06/16 को आरोपित मोटरसाइकिल को आरोपी सोनू चला रहा था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपी सोनू ने आरोपित मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए एक्सीडेंट कर दिया था। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने प्रदर्श पी 2 का प्रमाणीकरण पुलिस को दिया था।
- 12. प्रधान आरक्षक प्रमोद पावन अ.सा. ३ ने विवेचना को प्रमाणित किया है।
- 13. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 14. प्रस्तुत प्रकरण में ये उल्लेखनीय है कि आह्त शिवकुमार द्वारा आरोपी से राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी को पूर्व में ही भा.दं.सं. की धारा 337 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपी के विरुद्ध मात्र भा.दं.सं. की धारा 279 तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के अंतर्गत विचारण शेष है।
- 15. उक्त सबंध में फरियादी मनोज अ.सा. 4 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन वह शिवकुमार के साथ सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रहा था तभी भानू की घटिया की तरफ से एक मोटरसाइकिल चालक ने मोटरसाइकिल चलाते हुए शिवकुमार के टक्कर मार दी थी जिससे शिवकुमार के चोटें आयी थीं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि दुर्घटना कारित करने वाली मोटरसाइकिल का नं. एमपी30 / 8967 था। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि वह एक्सीडेंट करने वाले आरोपी को नहीं पहचान सकता है। इस प्रकार फरियादी मनोज अ.सा. 4 ने शिवकुमार का

मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होना तो बताया है, परंतु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाली मोटरसाइकिल का नंबर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था। उक्त साक्षी द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

- 16. आह्त शिवकुमार अ.सा. 1 ने अपने कथन में घटना वाले दिन उसका मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होना तो बताया है, परंतु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाली मोटरसाइकिल का नंबर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर उक्त साक्षी द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं है।
- 17. साक्षी सीताराम अ.सा. 2 जो कि आरोपित मोटरसाइकिल क. एमपी30 एमबी 8967 का पंजीकृत स्वामी है ने भी न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि आरोपित मोटरसाइकिल को वह चलाता है तथा घटना दिनांक को आरोपित मोटरसाइकिल उसके घर पर थी एवं उक्त मोटरसाइकिल से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी 2 का प्रमाणीकरण नहीं दिया था। उक्त साक्षी ने मात्र प्रमाणीकरण प्रदर्श पी 2 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि घटना वाले दिन आरोपित मोटरसाइकिल को आरोपी सोनू चला रहा था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपी सोनू ने आरोपित मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए एक्सीडेंट किया था। इस प्रकार साक्षी सीताराम अ.सा. 2 ने प्रदर्श पी 2 का प्रमाणीकरण पुलिस को देने से इंकार किया है तथा इस तथ्य से भी इंकार किया है कि घटना वाले दिन आरोपित मोटरसाइकिल को आरोपी सोनू चला रहा था। इस प्रकार सीताराम अ.सा. 2 द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।
- 18. साक्षी प्रमोद पावन अ.सा. 3 द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है। प्रमोद पावन अ. सा. 3 ने दिनांक 20/06/16 को आरोपी सोनू से मोटरसाइकिल जप्त करना बताया है, परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक 14/06/16 की है एवं दिनांक 20/06/16 को आरोपी सोनू से मोटरसाइकिल जप्त होने मात्र से यह नहीं माना जा सकता है कि घटना वाले दिन भी आरोपित मोटरसाइकिल को आरोपी सोनू चला रहा था।
- 19. समग्र अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रकरण में फरियादी मनोज अ.सा. 4 एवं आह्त शिवकुमार अ.सा. 1 ने एक्सीडेंट होना तो बताया है, परंतु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाली मोटरसाइकिल का नंबर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था। साक्षी सीतराम अ.सा. 2 ने भी आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है। साक्षी प्रमोद पावन अ.सा.3 प्रकरण का औपचारिक साक्षी है। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो आरोपित मोटरसाइकिल क. एमपी30 एमबी 8967 को आरोपी सोनू चला रहा था एवं आरोपी सोनू ने आरोपित मोटरसाइकिल को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर वाहन दुर्घटना कारित की थी। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

- 20. जहां तक आरोपी के पास घटना दिनांक को आरोपित मोटरसाइकिल का बीमा न होने का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आयी साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं है कि घटना दिनांक को आरोपित मोटरसाइकिल क. एमपी30 एमबी 8967 को आरोपी सोनू चला रहा था, इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी प्रमोद पावन अ.सा. 3 जो कि जप्तीकर्ता है ने अपने कथन में नहीं बताया है कि आरोपी के पास आरोपित मोटरसाइकिल का बीमा नहीं था। उक्त साक्षी ने दिनांक 20/06/16 को आरोपी से मोटरसाइकिल मय ड्राइविंग लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन की फोटो प्रति जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 5 बनाना बताया है, परंतु उक्त साक्षी का ऐसा कहना नहीं है कि आरोपी के पास आरोपित मोटरसाइकिल का बीमा नहीं था। ऐसी स्थिति में यह भी प्रमाणित नहीं है घटना दिनांक को आरोपी के पास आरोपित मोटरसाइकिल क. एमपी30 एमबी 8967 चलाने का बीमा नहीं था। अतः आरोपी को उक्त अपराध में भी दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
- 21. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करे। यदि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति उचित है।
- 22. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 14/06/16 को 11 बजे सब्जी मण्डी गंज बाजार गोहद में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मोटरसाइकिल क. एमपी30 एमबी 8967 को बिना बीमा के उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी सोनू जाटव को भा.दं. सं. की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के आरोप से दोषमुक्त करती है।
- 23. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।
- 24. प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाइकिल क. एमपी30 एमबी 8967 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है। अतः उसके संबंध में सुपुर्दगीनामा अपील अविध पश्चात् निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद दिनांक – 27 /02 /2017 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय मेंघोषित किया गया।

सही / — (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०) मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)